रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-821/2025/1934/22-2-2023-17(774)2023

लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, झॉसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुधुआ (बन्दी संख्या-22/21) पुत्र श्री लिपई लोधी, ग्राम-इटायल, थाना-लहचूरा, जनपद-झॉसी का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-86ए/1974 में भा0द0वि0 की धारा-395, 412 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, (द0प्र0क्षे0अधि0)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झॉसी के आदेश दिनांक 16.01.2021 द्वारा 05 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है, बन्दी की 96 वर्ष की आयु, उत्तम जेल आचरण, बन्दी की वृद्धावस्था तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-821/2025/1934(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी।
3- पुलिस अधीक्षक झॉसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झॉसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in